न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —86 / 2020(2020 / 00107)

अनवान : —

1. दुर्गेश पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जयचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
2. सुमन पुत्री जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
3. कविता पुत्री जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. आर एम जी बी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री राजेश बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 04/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 26 / 2 के मु0न0 32 किला न0 21 ता 25 मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु0 न0 43 के किला नम्बर 1 ता 17 मु0 न0 44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 10.1200 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 200 हिस्सा, चक 3 बारानी के खाता संख्या 7 / 7 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 2.2770 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1 / 2 हिस्सा व चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37 / 36 के मु0 न0 45 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला नम्बर 5 / 1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला नम्बर 6, 7 कुल 8.4760 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1 / 2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जयचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासति होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्योनन्द की खातेदारी हुआ करती थी। श्योनन्द के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी जयचन्द के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी जयचन्द कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी जयचन्द ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी जयचन्द के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जयचन्द को वादी के दादा श्योनन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2073–76 चक 3 बारानी के खाता संख्या 25/25, चक 9 एसडीआर जमाबनदी सम्वत 2054 खाता संख्या 8/6 एवं चक 7 एसडीआर जमान्दी सम्वत 2057–60 खाता संख्या 8/8 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्त से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहता है जिसके लिए उसे केसीसी ऋण आदि की आवश्कता रहती है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 26/2 की कुल 10.1200 हैक्टेयर में 200 हिस्सा, चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 की कुल 2.2770 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा एवं चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 की कुल 8.4760 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 जयचन्द के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी दुर्गेश पुत्र जयचन्द निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबदी चक 3 बारानी सम्वत 2072–75 प्रदर्श 2, जमाबन्दी 7 एसडीआर सम्वत 2073–76 प्रदर्श–3, चक जमान्दी खतौनी सम्वत 2056–60 प्रदर्श 4–5, चक 7 एसडीआर जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2058 प्रदर्श 6, चक 7 एसडीआर जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2057–60 प्रदर्श 7, चक 7 एसडीआर जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2057–60 प्रदर्श 8, ग्राम पंचायत चिड़िया गांधी का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 26/2 के मु0न0 32 किला न0 21 ता 25 मु0 न0 42 के

किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु0 न0 43 के किला नम्बर 1 ता 17 मु0 न0 44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 10.1200 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 200 हिस्सा, चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 2.2770 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा व चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला नम्बर 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला नम्बर 6, 7 कुल 8.4760 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जयचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 26/2 के मु0न0 32 किला न0 21 ता 25 मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु0 न0 43 के किला नम्बर 1 ता 17 मु0 न0 44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 10.1200 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 200 हिस्सा, चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 2.2770 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा व चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला नम्बर 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला नम्बर 6, 7 कुल 8.4760 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जयचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी दुर्गेश एवं प्रतिवादी सं 1 जयचन्द बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुमन व प्रतिवादी सं 3 कविता ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं 1 जयचन्द के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी दुर्गेश व प्रतिवादी सं 1 जयचन्द को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –86/2020(2020/00107)

अनवान : –

1. दुर्गेश पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. जयचन्द पुत्र श्योनन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
2. सुमन पुत्री जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
3. कविता पुत्री जयचन्द जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी त. भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. आर एम जी बी बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादी श्री राजेश बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं 26/2 के मु0न0 32 किला न0 21 ता 25 मु0 न0 42 के किला न0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20 मु0 न0 43 के किला नम्बर 1 ता 17 मु0 न0 44 के किला नम्बर 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 की कुल 10.1200 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 200 हिस्सा, चक 3 बारानी के खाता संख्या 7/7 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13 की कुल 2.2770 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा व चक 7 एसडीआर के खाता संख्या 37/36 के मु0 न0 45 के किला नम्बर 1, 9 ता 12, 19 ता 24, मु0 न0 46 के किला नम्बर 5/1, 6 ता 25, मु0 न0 47 के किला नम्बर 6, 7 कुल 8.4760 हैक्टेयर में प्रतिवादी जयचन्द के नाम 1/2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी जयचन्द के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी दुर्गेश एवं प्रतिवादी सं 1 जयचन्द को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सुमन व प्रतिवादी सं 3 कविता ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं 1 जयचन्द के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी दुर्गेश व प्रतिवादी सं 1 जयचन्द को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)